बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री कुमार मनोज (कोटि क्रमांक–103/2024, बिहार आपूर्ति सेवा), जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद के विरूद्ध मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पत्रांक–4400 दिनांक–06.10.2025 द्वारा डीलर मार्जिन मनी के भुगतान में अभिरूचि नहीं लेने, माह अगस्त, 2025 के लिए स्वयं के जिला से आवंटित सी0एम0आर0 के उठाव में शिथिलता बरतने, मुख्यालय द्वारा अधिसूचित गोदामों की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं करने तथा भंडारण मद में अनावश्यक व्यय करने एवं अनुशासनहीनता बरतने, वित्तीय अनियमितता, कार्य के प्रति लापरवाही के साथ बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1)(i), (ii) एवं 3(3) के संगत प्रावधानों के उल्लंघन करने संबंधित आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही, प्रतिवेदित आरोप के आलोक में श्री मनोज के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा विभाग से की गयी है।

इस प्रकार श्री कुमार मनोज के विरूद्ध अपने कर्त्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता जैसे आरोप प्रतिवेदित है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के संगत प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। उपर्युक्त आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17/19 के संगत प्रावधानों के अधीन श्री मनोज के विरूद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

2. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री कुमार मनोज, (कोटि क्रमांक–103/2024, बिहार आपूर्ति सेवा), जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद से अपेक्षा की जाती है कि 15 दिनों के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन विभाग को अवश्य प्रस्तुत करें तथा यह भी बतायें कि जिन आरोप के मदों को आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी व्यक्तिशः सुनवाई चाहते हैं।

3. श्री मनोज को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोपों के मदों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन 15 दिनों के अन्दर विभाग को प्राप्त नहीं होगा, तब निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के संबंध में निर्णय उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर कर लिया जाएगा।

21/10/2025

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(औरंगाबाद)–18/2025 2895 खाद्य, पटना/दिनांक– 21/10/2025

प्रतिलिपि–1. मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री कुमार मनोज, (कोटि क्रमांक–103/2024, बिहार आपूर्ति सेवा, पैतृक विभाग–खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग), जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद, E-Mail ID : kumarmanoj06081979@gmail.com को आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति के साथ (अनु0–यथोक्त) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/2025

सरकार के संयुक्त सचिव।